भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 125*

(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु अस्थायी निधि

125*. श्री नंद कुमार साय :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार बनाए गए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु एक अस्थायी निधि बनाए जाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों को अस्थायी निधि के आवंटन हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस निधि के उपयोग के संबंध में विभिन्न राज्यों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों द्वारा उक्त निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने के बारे में कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री जयराम रमेश)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 125 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए अस्थायी निधि के ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

(ख) से (ड.) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।